राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी

जयपुर, 11, दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने हेतु शैक्षणिक सत्र 2025–26 की प्रोविजनल मैरिट सूची दिनांक 11.12.2025 को जारी कर दी गई है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर, अभ्यर्थियों को आवंटित कोचिंग संस्थान उनकी एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित कर दिया गया है। इसके उपरान्त दिनांक 15.12.2025 तक की अवधि में अभ्यर्थियों को ''ज्वॉईन/ऑटोअपग्रेड/ज्वाईन नही'' करने के तीन विकल्प उनकी एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित होगें, उनमें से एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी विकल्प का चयन नही किया जाता है तो उसकी ज्वॉईन करने की सहमति मानी जावेगी।

कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ज्वॉईन किये जाने की सहमति प्राप्त नहीं होने पर, योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में रिक्त रह गई सीटों पर ऑनलाईन पोर्टल पर कोचिंग संस्थान ऑटो अपग्रेड करने हेतु प्रस्तुत किये गये ऑनलाईन अनुरोधों तथा उच्च मैरिट होते हुए भी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रीफरेन्स में भरी गई संस्थानों में तत्समय सीमित सीट उपलब्ध होने के कारण प्रोविजनल मेरिट सूची में आवंटित नहीं हो पाई, ऐसे अभ्यर्थियों को मध्यनजर रखते हुए कोचिंग संस्थानों में श्रेणी/वर्गवार उपलब्ध रिक्तियों तथा उनकी मेरिट के अनुसार केवल एकबार कोचिंग संस्थान ऑटो अपग्रेड किये जाने का प्रावधान योजना के पोर्टल पर है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑटोअपग्रेड/ज्वाईन किये जाने की सहमति उपरान्त मुख्य मैरिट सूची जारी की जावेगी।

साथ ही योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इसी शैक्षणिक सत्र में विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक उनको आवंटित कोचिंग संस्थान के सूचीबद्ध किसी भी केन्द्र में अपनी सुविधानुसार आधार आधारित बायोमैट्रिक पहचान (फिंग्रर प्रिट/आईरिश स्कैन/फेस रिकॉग्निशन) के माध्यम से ज्वॉईन करना होगा। उनको आवंटित कोचिंग संस्थान के किसी केन्द्र ज्वॉईन कर लिये जाने के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन करने का विकल्प नही दिया जावेगा एवं अभ्यर्थी आगामी सत्रो में योजनान्तर्गत नवीन आवेदन कर योजना का पुनः लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मेरिट सूची में से उनको आवंटित कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन करने की सहमति एवं ऑटोअपग्रेड किये जाने की प्रक्रिया विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।